पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 35/2019

अनवान :

1. जसवन्त पुत्र पूर्ण जाति चमार निवासी बिहारीपुरा बास भादरा।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल प्रतिवादी

2. मनीराम
3. हरिसिंह
4. रेशमा
5. मथरा

} पि0 पूर्ण जाति चमार निवासीगण बिहारीपुराबास भादरा।

6. घासीराम
7. ईश्वर
8. गुड्डी देवी
9. धर्मा

} पि0 फूलाराम जाति चमार निवासी बिहारीपुरा बास भादरा।

10. निर्मला उर्फ निमा

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 बीएचडी की जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 77 के खाता सं0 142/135 के मु0नं0 38 के किला नं0 22, 23, 24, 25, मु0नं0 41 के किला नं0 1 ता 20, 23, 24, 25 कुल 6.8310 है0 भूमि गैर खातेदारी माफी हुआ करती थी जो अब वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम अपने अपने हिस्सानुसार गैरखातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

प्रकरण सं0 : 35/2019

अनवान :

1. जसवन्त पुत्र पूर्ण जाति चमार निवासी बिहारीपुरा बास भादरा।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल प्रतिवादी

2. मनीराम
3. हरिसिंह
4. रेशमा
5. मथरा

} पि0 पूर्ण जाति चमार निवासीगण बिहारीपुराबास भादरा।

6. घासीराम
7. ईश्वर
8. गुड्डी देवी
9. धर्मा

} पि0 फूलाराम जाति चमार निवासी बिहारीपुरा बास भादरा।

10. निर्मला उर्फ निमा

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र बैनीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक :** 22.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के पूर्वज पूर्ण के नाम से कृषि भूमि चक 3 बीएचडी की जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 77 के खाता सं0 142/135 के मु0नं0 38 के किला नं0 22, 23, 24, 25, मु0नं0 41 के किला नं0 1 ता 20, 23, 24, 25 कुल 6.8310 है0 भूमि गैर खातेदारी माफी हुआ करती थी जो अब वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम अपने अपने हिस्सानुसार दर्ज है वर्तमान जमाबन्दी व फोटो प्रति समस्त दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न है।

उपर वर्णित भूमि पूर्ण के गैर खातेदारी माफी रजि. दर्ज थी पूर्ण का देहान्त हो चुका है वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 पूर्ण के वारिस है व भूमि वर्तमान में इन्हीं के नाम अपने अपने हिस्सानुसार दर्ज उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज रहने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है उक्त भूमि को वादी खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद भूमि बाबत वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वर्णित वाद भूमि को खातेदारी करने से इन्कार कर दिया। दावा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के हितों की रक्षा के लिए पेश किया जा रहा है लेकिन प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के मौका पर उपस्थित न होने के कारण उन्हें तरतीबी पक्षकार बनाया गया है जब चाहे दावा में वादी बन सकते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पूर्ण वल्द मंगला बाबत माफी खातेदारी की पंत्रावली संलग्न है, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में तहसीलदार भादरा के पत्र क्रमांक/18/695 दिनांक 04.07.2018 द्वारा माफी से खातेदारी दिए जाने की अभिशंषा की गई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 28.06.2018 के अनुसार माफीदार आवंटी के वारिसों का कब्जा काश्त है। पूर्ण वल्द मंगला के वारिसान के नाम दर्ज विरासतन इंतकाल के नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। रजिस्टर माफीदारान में पूरण वल्द मंगला का नाम दर्ज है, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। जमाबन्दी संवत् 2074–77 चक 3 बीएचडी के खाता सं0 142/135 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 का नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज है।

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़ क्रमाक/टी0आर0 ए0/140 दिनांक 22.02.2019 द्वारा भी भूमि माफी एवज की रिपोर्ट प्राप्त हुई है व भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राशि शेष नहीं होना बताया है। उपरोक्त विवेचन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 के पूर्वज पूरण वल्द मंगला को बतौर माफीदार की माफी भूमि है, जिसके विधिक वारिसान के नाम जमाबन्दी में बतौर गैर खातेदारी अंकित है। जवाब प्रतिवादी सं0 1 में भी वाद का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है न ही प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाब में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 को खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित है। वादी वाद साबित करने में सफल रहा है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 बीएचडी की जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 77 के खाता सं0 142/135 के मु0नं0 38 के किला नं0 22, 23, 24, 25, मु0नं0 41 के किला नं0 1 ता 20, 23, 24, 25 कुल 6.8310 है0 भूमि गैर खातेदारी माफी हुआ करती थी जो अब वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम अपने अपने हिस्सानुसार गैरखातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़